न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–123/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00019)

1. गुगनराम आयु 57 वर्ष, पुत्र रामजीलाल जाति स्वामी निवासी घिगड़िया, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेश पुनिया, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 17.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 23.02 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन जोहड़ वाके ग्राम धिगड़िया तहसील सूरजगढ में स्थित है, उक्त जमीन में से 0.10 हैक्टयर जमीन पर अपलान्ट द्वारा ग्वार की फसल काश्तकर पुनः अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने सरह लगान का 50 गुणा तावान से दण्डित किये जाने एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2013 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर झुन्झुनू के न्यायालय में पेश की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी विवादित मुद्दे के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना ही एवं कानूनी न्याय व पत्रावली के तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2014 पारित किया है, जो निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलान्ट को गलत रूप से जमीन हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 23.02 हैक्टयर पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलान्ट का खेत और गैर मुमकिन जोहड़ आपस में सटे हुये है दोनों के बीच कोई पुख्ता कदीमी चिन्ह नही है गलती से हुये तथाकथित अतिक्रमण स्थल को फसल काटने के बाद अपीलान्ट ने छोड़ दिया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर अपीलान्ट को गलत रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना तथा उक्त तथ्यों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी कोई गौर नही कर कानूनी गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि पत्रावली पर पूर्व बेदखली का कोई आदेश प्रदर्शित नही हुआ है इसलिये कानूनन अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नही माना जा सकता और गैर मुमकीन जोहड़ एवं अपीलान्ट के खेत की प्रकरण से पूर्व कोई नपती नही की गई, अपीलान्ट को उक्त निर्णय से पूर्व सुना नही गया, अपीलान्ट अतिक्रमी व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रणी में नही आता, किन्तु उक्त तथ्य पर

P.T.O.

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई गोर नही कर भारी कानूनी गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट मजदूरी के सिलसिले में गुजरात राज्य में मजदूरी के लिये चला गया था तथा वकील साहब से सम्पर्क नही हुआ, अपीलान्ट दिनांक 07.11.2014 को गुजरात राज्य से आया तब वकील साहब से मिला तो वकील साहब ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2014 के बारे में बताया, दिनांक 08.11.2014 व दिनांक 09.11.2014 को राजकीय अवकाश था इस कारण अपील अपीलान्ट बेरोज जानकारी के निर्णय दिनांक 07.11.2014 से अन्दर मियाद पेश की गई जिसे किसी कारणवंश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नही मानी जावें उस सूरत में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2014 एवं तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 को निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है तथा उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन कियां तथा अध्विक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा लगभग 9 वर्ष 1 माह पूर्व पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 द्वारा 3 माह के सिविल कारावास दी गई जिस पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन नही होने के उपरान्त भी आज दिनांक तक कार्यवाही नही की गई है तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की कार्यवाही भी किसी न्यायालय में विचराधीन नही है एवं अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ के समक्ष दिनांक 23.10.2013 को अतिक्रमण हटा लिये जाने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाना उचित प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2013 को अपीलार्थी को 3 माह के सिविल कारावास के आदेश की हद तक निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश अतिक्रमण हटाने का यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17/11/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर